न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 1/2018 एल.आर.एक्ट

पुरखाराम पुत्र रुपाराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 फूसी पत्नी पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।
2- राजस्थान सरकार

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1— श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री जयचन्द सारस्वत अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1

निर्णय

दिनांक 6.11.2019

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 23.11.17, जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रिकॉर्ड दुरुस्ति स्वीकार किया जाकर ग्राम बुर्ज चौपदारान के खातेदारी इन्तकाल सं0 279 दिनांक 30.11.77 के कॉलम सं0 11 में एवं राजस्व अभिलेखों में पुरखाराम के नाम के आगे अंकित जाति कुम्हार के स्थान पर मेघवाल व निवासी खारी चारनान के स्थान पर निवासी रणधीसर की दुरुस्ति करने के आदेश दिये, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट सं01 श्रीमती फूसी पत्नी स्व0 पुरखाराम मेघवाल द्वारा उपखण्ड न्यायालय कोलायत के समक्ष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बुर्ज चौपदारान तहसील कोलायत के खसरा नं0 184/46 की 75 बीघा भूमि प्रार्थीनी के पति पुरखाराम पुत्र रुपाराम मेघवाल को दस साला आवंटन पट्टे पर वर्ष 1974 में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटित की गयी थी तथा आवंटित भूमि का कब्जा उसी समय पुरखाराम को दे दिया गया, तभी से जब तक पुरखाराम जिन्दा थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी जायज वारिस प्रार्थीनी उनकी पत्नी उक्त भूमि पर काबिज चली आ रही है । उक्त भूमि का आवंटन होने के पश्चात् इसका रिकॉर्ड में इन्तकाल सं0 130 दिनाक 15.6.75 पुरखाराम के नाम से गैरखातेदारी का दर्ज किया गया एवम् बाद में खातेदारी का इन्तकाल सं0 279 दिनांक 30.11.77 पुरखाराम के नाम से स्वीकृत किया गया, जिसके कॉलम सं0 5 में पुरखाराम की जाति मेघवाल निवासी रणधीसर की प्रविष्ट को सही रुप से की गयी, लेकिन कॉलम सं0 11 में जाति मेघवाल के स्थान पर कुम्हार व निवासी रणधीसर की बजाय खारी चारनान अंकित कर दिया गया । उक्त प्रविष्टि पटवारी हल्का की असावधानी से हुई, जो लिपिकीय भूल है, अतः रिकॉर्ड में दुरुस्ति फरमाई जावे ।
3. रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा उपखण्ड न्यायालय कोलायत के समक्ष रिकॉर्ड दुरुस्ति हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष को नोटिस जारी किया गया । राज्य पक्ष ने न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरुस्ति आदेश पारित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । इस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर इन्तकाल सं0 279

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

LR 1/18

दिनांक 30.11.77 के कॉलम सं0 11 में एवं राजस्व अभिलेखों में पुरखाराम के नाम के आगे अंकित जाति कुम्हार के स्थान पर मेघवाल व निवासी खारी चारनान के स्थान पर रणधीसर की दुरुस्ति के आदेश दिनांक 23.11.17 पारित किया गया, जिसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम बुर्ज चौपदारान तहसील कोलायत के खसरा नं0 184/46 की 75 बीघा भूमि अपीलान्ट की आवंटन शुदा खातेदारी भूमि है, जो तमाम रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है । उक्त भूमि का प्रार्थी के नाम से वर्ष 1977 में खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है एवम् सम्वत 2035–2038 एवम् उसके पश्चातवर्ती तमाम जमाबन्दी में लगातार अपीलान्ट का नाम दर्ज है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट ने ग्रामीण बैंक से लोन लेकर जमीन को रहन किया हुआ है । अपीलान्ट की मौके पर ढाणी, कुण्ड, बाड़ा आदि बना कर अपने परिवार सहित आबाद होकर काश्त करता आ रहा है । रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष धारा 136 रिकॉर्ड दुरुस्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये, धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.17 द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 श्रीमती फूसीदेवी को अपीलान्ट की कब्जा काश्त की भूमि पर खातेदार घोषित कर दिया । जबकि धारा 136 का क्षेत्र सीमित है, जिसमें केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है । अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.17 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम बुर्ज चौपदारान तहसील कोलायत के खसरा नं0 184/46 की 75 बीघा भूमि अपीलान्ट के स्वर्गीय पति पुरखाराम पुत्र रुपाराम मेघवाल साकिन रणधीसर तहसील कोलायत को आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 6.7.74 द्वारा दस साला पट्टे पर आवंटित की गयी तथा आवंटित भूमि का कब्जा उसी समय पुरखाराम को दे दिया गया, तभी से जब तक पुरखाराम जिन्दा थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी जायज वारिस प्रार्थीनी उनकी पत्नी उक्त भूमि पर काबिज चली आ रही है । उक्त भूमि का आवंटन होने के पश्चात् इसका रिकॉर्ड में गैरखातेदारी का इन्तकाल सं0 130 दिनाक 15.6.75 पुरखाराम के नाम से दर्ज किया गया एवम् बाद में खातेदारी का इन्तकाल सं0 279 दिनांक 30.11.77 पुरखाराम के नाम से स्वीकृत किया गया, जिसके कॉलम सं0 5 में पुरखाराम की जाति मेघवाल निवासी रणधीसर की प्रविष्ट को सही रुप से की गयी, लेकिन कॉलम सं0 11 में जाति मेघवाल के स्थान पर कुम्हार व निवासी रणधीसर की बजाय खारी चारनान पटवारी द्वारा भूलवश अंकित कर दिया गया । उक्त विवादित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 व गिरदावरी सम्वत 2032–2035 में पुरखाराम पुत्र रुपाराम मेघवाल निवासी रणधीरसर के नाम से गैर खातेदारी कृषि भूमि के रुप में दर्ज है । कानूनन यह निर्विवाद सत्य है कि किसी अनुसूचित जाति के आवंटी की भूमि किसी स्वर्ण या पिछड़े व्यक्ति के नाम से आवंटन नहीं हो सकती है । लेकिन पटवारी हल्का द्वारा मेघवाल के स्थान पर कुम्हार एवं निवासी रणधीसर के स्थान पर खारी चारणान अंकित कर दिया, जो लिपिकीय त्रुटि होने से उपखण्ड न्यायालय, कोलायत के समक्ष धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरुस्ति करवाई गयी है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

LR 1/18

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है :–

I. प्रकरण अनुसार विवादित भूमि ग्राम बुर्ज चौपदारान तहसील कोलायत के खसरा नं0 184/46 की 75 बीघा भूमि रेस्पोन्डेंटसं01 के स्वर्गीय पति पुरखाराम पुत्र रुपाराम मेघवाल साकिन रणधीसर तहसील कोलायत को आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 6.7.74 द्वारा दस साला पट्टे पर आवंटित की गयी है। उक्त भूमि का आवंटन होने के पश्चात् इसका रिकॉर्ड में इन्तकाल सं0 130 दिनाक 15.6.75 स्वीकृत होकर पुरखाराम के नाम से गैरखातेदारी दर्ज की गयी है।

II. आवंटिति पुरखाराम पुत्र रुपाराम मेघवाल साकिन रणधीसर गैरखातेदार द्वारा उन्हें आवंटित खसरा नं0 184/46 की 75 बीघा भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 17.11.17 को ढाईगुणा राशि 152.80 रुपये जमा करवाये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं0 279 दर्ज किया गया, जिसके कॉलम सं0 5 में पुरखाराम पुत्र रुपाराम कौम मेघवाल साकिन रणधीसर गैर खातेदार सन 74 दर्ज किया गया किन्तु उक्त नामान्तरकरण के कॉलम सं011 में जाति मेघवाल के स्थान पर कुम्हार व निवासी रणधीसर की बजाय खारी चारनान पटवारी द्वारा अंकित कर दिया गया तथा नायब तहसीलदार कोलायत द्वारा दिनांक 30.11.77 को खातेदारी अधिकार दिया जाने का नामान्तरकरण सं0 279 स्वीकृत कर दिया गया ।

III. अभिलेख अनुसार उक्त विवादित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 व गिरदावरी सम्वत 2032–2035 में पुरखाराम पुत्र रुपाराम मेघवाल निवासी रणधी सर के नाम से गैर खातेदार कृषक के रुप में दर्ज है । जबकि खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 279 दिनांक 30.11.77 स्वीकृत होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में पुरखाराम पुत्र रुपाराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारनान का नाम दर्ज होकर पश्चातवर्ती जमाबन्दी सम्वत 2035–2038 एवम् आगे की जमाबन्दी में जाति कुम्हार साकिन खारी चारनान के नाम से जमाबन्दी बनी है । अभिलेख अनुसार खातेदारी के नामान्तरकरण सं0279 के कॉलम सं0 11 में मेघवाल के स्थान जाति कुम्हार एवं साकिन रणधीसर के स्थान पर खारी चारनान अंकित होने का अपीलान्ट पुरखाराम पुत्र रुपाराम जाति कुम्हार साकिन खारी चारनान द्वारा नाम एवं वल्दियत का गलत रुप से फायदा उठाया गया है, जबकि मूल आवंटी पुरखाराम मेघवाल का देहावसान भी हो चुका है तथा उसकी जायज वारिस मु. फूसी पत्नी स्व. पुरखाराम मेघवाल द्वारा रिकॉर्ड में दुरुस्ति हेतु धारा–136 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के आवंटी की भूमि किसी स्वर्ण या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के नाम से दर्ज नहीं हो सकती है । लेकिन पटवारी हल्का द्वारा मेघवाल के स्थान पर कुम्हार एवं निवासी रणधीसर के स्थान पर खारी चारणान अंकित कर दिया, जो लिपिकीय त्रुटि होने से उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा दुरुस्ति आदेश दिनांक 23.11.17 पारित किया गया है, जो नियमानुसार उचित आदेश है ।

IV. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में यह आधार लिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि विवादित भूमि का अपीलान्ट को आवंटन ही नहीं हुआ है । विवादित भूमि का अपीलान्ट के नाम से आवंटन नहीं होने के कारण अपीलान्ट के किसी भी काश्तकारी अधिकारों का हनन नहीं हुआ है । अपीलान्ट द्वारा मूल आवंटी के नाम एवं वल्दियत का गलत रुप से फायदा उठाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ट हुआ है, जिसके कारण कानूनन अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, इस कारण उसे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है । अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेंट सं.1 की भूमि पर गलत रुप से रिकॉर्ड प्रस्तुत कर लोन लिया गया है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

LR 1/18

8- परोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय कोलायत द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 मु0 फूसी पत्नी स्व. पुरखाराम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ति धारा 136 में विधिवत रुप से सुनवाई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन कर लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.17 यथावत रखा जाता है ।

9- तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:34:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: